रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 26, 1986/आषाढ़ 5, 1908
No. 250] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 1986/ASADHA 5, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1986

आदेश

का.आ. 377 (अ).— कम्पनी विधि बोर्ड का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक है कि (i) शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित एक सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय शिपिंग हाउस, 245, मैडम कामा रोड, बम्बई-400021 में है तथा (ii) मुगल लाइन लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन निगमित सरकारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 16, बैंक स्ट्रीट, बम्बई-400023 में है (जिन्हे इसमें इसके पश्चात "उक्त दोनों कंपनियां" कहा गया है) को, इन कंपनियों की निधियों के विनिधान के लिए नीति का समन्वय सुनिश्चित करने और उक्त दोनो कंपनियों द्वारा उन कंपनियों का, जिनमें उनके द्वारा निधियों का पहले ही विनिधान किया गया है, सुदक्ष प्रबन्ध का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक कंपनी में समामेलन किया जाना चाहिए;

और प्रस्तावित आदेश के प्रारूप की एक प्रति उक्त कंपनियों, अर्थात् मैसर्स मुगल लाइन लिमिटेड और मैसर्स शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को भेजी गई थीं और उक्त प्रारूप और आक्षेपों पर कंपनी विधि बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है;

अतः, कंपनी विधि बोर्ड, भारत सरकार के कंपनी कार्य विभाग की अधिसूचना सं. 443(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 1971 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 333 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त सभी कंपनियों को एक कंपनी में समामेलित करने का आदेश करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस आदेश का संक्षिप्त नाम शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड और मुगल लाइन लिमिटेड समामेलन आदेश 1986 है।

2. परिभाषाएं.—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "नियत दिन" से 30 जून, 1986 अभिप्रेत है,

(ख) "विघटित कंपनी" से मुगल लाइन लिमिटेड अभिप्रेत है;

(ग) "नव गठित कंपनी" से शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड अभिप्रेत है।

3. कंपनियों का समामेलन.—

(i) नियत दिन से ही, विघटित कंपनी का उपक्रम, उसके विल्लंगमों के, यदि कोई हैं, अधीन रहते हुए, शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को, अंतरित और उसमें निहित हो जाएगा तथा यह कंपनी ऐसा अंतरण होने पर तुरन्त, समामेलन से नवगठित कंपनी समझी जाएगी।

(ii) लेखा प्रयोजनों के लिए, समामेलन उक्त दोनों कंपनियों के 30 जून, 1986 को विद्यमान लेखा परीक्षित लेखाओं के प्रतिनिर्देश से प्रभावी होगा और उसके पश्चात किए गए संव्यवहारों को एक सामान्य लेखा में रखा जाएगा। विघटित कंपनी से किसी पश्चातवर्ती तारीख का यथाविद्यमान अंतिम लेखा तैयार करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और विघटित कंपनी के 30 जून, 1986 को यथाविद्यमान तुलनपत्र के अनुसार सभी आस्तियां और दायित्व नवगठित कंपनी ग्रहण कर लेगी और तत्पश्चात सभी संव्यवहारों का पूरा दायित्व स्वीकार करेगी।

स्पष्टीकरण—इस आदेश के प्रयोजनों के लिए "विघटित कंपनी के उपक्रम" के अन्तर्गत सभी अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सभी जंगम या स्थावर सम्पत्ति है, जिनके अन्तर्गत नकद, प्रतिशेष, आरक्षितियां, आमदनी अतिशेष, विनिधान तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य हित और अधिकार भी हैं जो नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के हैं या उसके कब्जे में हैं, और उससे संबंधित सभी बहियां, लेखे और दस्तावेज हैं और विघटित कंपनी के उस समय विद्यमान सभी ऋण, दायित्व, कर्त्तव्य और बाध्यताएं भी हैं चाहे वे किसी भी प्रकार का हों।

4. सम्पत्ति की कतिपय मदों का अंतरण.—इस आदेश के प्रयोजन के लिए, नियत दिन को विघटित कंपनी के सभी लाभ, या हानियां, या दोनों यदि कोई हैं, और विघटित कंपनी की आमदनी, आरक्षितियां या कमियां, या दोनों, यदि कोई हैं, तथा विघटित कंपनी की पूंजी आरक्षितियां, जिनके अन्तर्गत विकास कटौती आरक्षिती भी है, जब नवगठित कंपनी को अंतरित कर दी जाएं तब, नवगठित कंपनी के, यथास्थिति, लाभ या हानियां तथा आमदनी आरक्षितियां या कमी नवगठित कंपनी की पूंजी और आमदनी आरक्षितियों का भाग बन जाएंगी।

5. शेयर विनिमय अनुपात.—नवगठित कंपनी और विघटित कंपनी की पूंजी स्थिति निम्नलिखित प्रकार से है—

क. शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड:

प्राधिकृत शेयर पूंजी	
साधारण शेयरों की सं.	100,00,000
शेयरों का मूल्य	100,00,00,000 रुपए
पुरोधृत, अभिदत्त और समादत्त शेयर पूंजी	
साधारण शेयरों की सं.	69,99,944
इन शेयरों पर समादत्त रकम	69,99,94,400 रुपए

ख. मुगल लाइन लिमिटेड:

प्राधिकृत शेयर पूंजी	
साधारण शेयरों की सं.	25,00,000
शेयरों का मूल्य	25,00,00,000 रुपए
पुरोधृत, अभिदत्त और समादत्त शेयर पूंजी	
साधारण शेयरों की सं.	19,01,190
इन शेयरों पर समादत्त रकम	19,01,19,000 रुपए

समामेलन के परिणामस्वरूप, विघटित कंपनी के (भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम में धृत) शेयर धारकों को विघटित कंपनी के प्रत्येक 100 रुपए के साधारण 100 शेयरों पर नवगठित कंपनी का 100 रुपए नामीय मूल्य का पूर्ण समादत्त एक साधारण शेयर आबंटित किया जाएगा। इस प्रकार विघटित कंपनी के शेयर धारकों को नवगठित कंपनी के कुल 19011.9 साधारण शेयर, निम्नलिखित रूप से पुरोधृत किए जाएंगे :—

(क) नवगठित कंपनी के प्रत्येक पूर्ण समादत्त 100 रुपए वाले 19011 साधारण शेयर।

(ख) इस प्रकार नवगठित कंपनी के 0.9 शेयर पुरोधृत किए जाने के लिए शेष रह जाएंगे। 0.9 शेयरों के आंशिक धारण मद्दे नवगठित कंपनी 100 रुपए नामीय मूल्य का भागतः समादत्त एक शेयर, जिस पर 90 रुपए समादत्त होंगे, पुरोधृत करेगी।

नवगठित कंपनी सम्यक पावती रसीद सहित रजिस्ट्री डाक से विघटित कंपनी के उन शेयर धारकों को, जिनके नाम नियत दिन के ठीक पूर्व विघटित कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में हैं, एक सूचना भेजेगी जिसमें उसे आबंटित शेयरों की विशिष्टियां दी जाएंगी और ऐसे शेयरों का एक आबटन पत्र भेजेगी। नवगठित कंपनी द्वारा कम से कम दो समाचार-पत्रों में, जिनमें से एक प्रादेशिक भाषा में होगा, विघटित कंपनी के शेयर धारकों को सूचनाओं का प्रेषण अधिसूचित करने वाली एक सूचना प्रकाशित की जाएगी।

6. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति.—इस आदेश में अंतर्विष्ट अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, और मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) अधिनियम, 1984 (1984 का अधिनियम सं. 33) के अधीन केन्द्रीय सरकार को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संविदाएं, लेखा, बंधपत्र, करार और अन्य लिखतें चाहे वे किसी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कंपनी एक पक्षकार है, और जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील हों, नवगठित कंपनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः प्रवर्तनीय और प्रभावशील और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कंपनी की बजाए नवगठित कंपनी उनमें एक पक्षकार थी।

7. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति.—यदि, नियत दिन को विघटित कंपनी द्वारा उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन, अपील या किसी भी प्रकृति की अन्य विधिक कार्यवाही लंबित है तो वह विघटित कंपनियों के उपक्रम को नवगठित कंपनी को अन्तरित हो जाने के कारण या इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण उपशमित नहीं होगी या उसे बन्द नहीं किया जाएगा अथवा किसी भी प्रकार उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु वह वाद, अभियोजन, माध्यस्थम, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, नवगठित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक जारी रखी जा सकेगी, अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस सीमा तक वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा में, विघटित कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकती या अभियोजित और प्रवर्तित की जाती या जारी रखी जा सकती थी, या अभियोजित और प्रवर्तित की जा सकती थी।

8. कराधान की बाबत उपबंध.—नियत दिन के पूर्व विघटित कंपनी द्वारा किए गए कारबार के लाभों और अभिलाभों (जिसके अन्तर्गत संचित हानियां और समामेलित अवक्षयण भी है) की बाबत सभी कर नवगठित कंपनी द्वारा उसी सीमा तक संदेय होंगे जिस सीमा तक वे इस आदेश के न किए जाने की दशा में विघटित कंपनी द्वारा संदेय होते।

9. विघटित कंपनी के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की बाबत उपबंध.—विघटित कंपनी में नियत दिन के ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक पूर्णकालिक अधिकारी या अन्य कर्मचारी (जिसके अन्तर्गत विघटित कंपनी के

निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक नहीं है) नियत दिन से ही, नवगठित कंपनी का, यथास्थिति, अधिकारी या कर्मचारी बन जाएगा और वह उसमें अपना पद या अपनी सेवा उसी अवधि के लिए और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण करेगा जैसा वह, इस आदेश के न किए जाने की दशा में, विघटित कंपनी के अधीन धारण करता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक नवगठित कंपनी में उसका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक उसका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं। तथापि, विघटित कंपनी के सचिव और पूर्णकालिक निदेशक के पद नियत दिन से विघटित हो जाएंगे और विघटित कंपनी के सचिव तथा पूर्णकालिक निदेशक के पदों के धारक नवगठित कंपनी में उपयुक्त पदों पर, उसी वेतनमान में तथा उन्हीं परिलब्धियों सहित (तथापि परिलब्धियों में बोर्ड में पदाभिधान या सदस्यता या प्रोन्नति संभावनाएं सम्मिलित नहीं होंगी) जो उनके द्वारा नियत दिन से ठीक पूर्व विघटित कंपनी में लिए जा रहे थे, समायोजित किए जाएंगे और नियत दिन से वे नवगठित कंपनी के अधिकारी हो जाएंगे तथा वे अपने पद या उसमें सेवा तब तक धारण करते रहेंगे जब तक नवगठित कंपनी में उनका नियोजन सम्यक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उनका पारिश्रमिक और नियोजन की शर्तें पारस्परिक सहमति द्वारा सम्यक रूप से परिवर्तित नहीं कर दिए जाते हैं।

10. निदेशकों की स्थिति.—विघटित कंपनी का प्रत्येक निदेशक, जिसके अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक भी है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, उस हैसियत में पद धारण कर रहा था, नियत दिन को, विघटित कंपनी का निदेशक नहीं रहेगा।

11. भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति निधि, कल्याण निधि और अन्य निधियां.—आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, विघटित कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित की गई भविष्य निधि/सेवा निवृत्त निधि/कल्याण निधि किसी अन्य के न्यासी नियत दिन को संबंधित न्यासों की निधियों का नवगठित कंपनी में नियत दिन को अंतरण के लिए कार्रवाई करेंगे और नवगठित कंपनी नियत दिन से ही या उस दिन के पश्चात यथासंभव शीघ्र, परिस्थितियों के अनुसार जैसा व्यवहार्य हो, उन्हीं उद्देश्यों, निबंधनों और वैसी ही शर्तों के अनुसार, जो कि विद्यमान न्यास न्यासों की है, उक्त धन को लेकर एक या अधिक न्यासों का गठन करेगी या उक्त विद्यमान निधि/निधियों नवगठित कंपनी के एक या अधिक तत्स्थायी न्यासों को अंतरित किए जा सकेंगे जिससे कि दोनों में से किसी भी दशा में विद्यमान न्यास/न्यासों के हिताधिकारियों के अधिकार और हित किसी भी प्रकार से कम नहीं हो जाएं या उन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। जहां विद्यमान न्यास/न्यासों के सभी धन और अन्य आस्तियां अंतरिती/अंतरितियों को इस खंड के अधीन अंतरित कर दिए जाते हैं और उनमें विनिहित कर दिए जाते हैं, वहां ऐसे न्यास/न्यासी, नियत दिन से न्यास से उन बातों के सिवाय निर्मुक्त हो जाएंगे जो नियत दिन के पूर्व की गई हैं या उन्हें करने से लोप किया गया है।

12. मुगल लाइन लिमिटेड का विघटन.—इस आदेश के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियत दिन से, मुगल लाइन लिमिटेड विघटित हो जाएगी और कोई भी व्यक्ति विघटित कंपनी या उसके किसी निदेशक या अधिकारी के विरुद्ध, ऐसे निदेशक या अधिकारी के रूप में उसकी हैसियत में, कोई दावा, वाद या कार्यवाही, सिवाय वहां तक जहां तक कि इस आदेश के उपबन्धों को प्रवर्तित करने के लिए आवश्यक है, नहीं करेगा।

13. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा आदेश का रजिस्ट्रीकरण.—कंपनी विधि बोर्ड, इस आदेश के राजपत्र में अधिसूचित होने के पश्चात यथाशीघ्र, कंपनी रजिस्ट्रार महाराष्ट्र को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा और उसकी प्राप्ति पर कंपनी का रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र नवगठित कंपनी द्वारा विहित फीस का संदाय कर दिए जाने पर आदेश को रजिस्टर करेगा और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा। तत्पश्चात कंपनी रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र विघटित कंपनी के संबंध में उसके पास रजिस्टर, अभिलिखित या फाइल किए गए सभी दस्तावेजों को शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया, जिसमें विघटित कंपनी के हित आमेलित किए गए हैं, को फाइल में रखेगा और उन्हें समेकित करेगा तथा इस प्रकार समेकित दस्तावेजों को फाइल में रखेगा।

14. नवगठित कंपनी के संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद.—शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद, जैसे कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान थे, निम्नलिखित से हैं, नवगठित कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम-अनुच्छेद हो जाएंगे।

[फ. 24/25/83-सी एल.-III]
आर.एन. बंसल, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड।

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Company Affairs)

New Delhi, the 26th June, 1986

ORDER

No. S.O. 377(E).—Whereas, the Company Law Board is satisfied that it is essential in the public interest that (i) the Shipping Corporation of India Limited, a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), having its registered office at Shipping House, 245, Madame Cama Road, Bombay 400 021 and (ii) the Mogul Line Limited a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956 (1 of 1956), having its registered office at 16, Bank Street, Bombay-400023 (hereinafter referred to as the "said two Companies") should be amalgamated into a single company for the purpose of ensuring coordination in policy for investment of funds by these companies and for securing control for efficient management of the companies in which funds have already been invested by them;

And, whereas, a copy of the proposed order was sent in draft to the companies aforesaid, namely, M|s. Mugal Line Ltd., and M|s. Shipping Corporation of India and the suggestions and objections received from them have been duly considered by the Company Law Board;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 396 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), read with the Notification of the Government of India in the Department of Company Affairs No. G.S.R. 443(E), dated the 18th October, 1972, the Company Law Board hereby makes the following Order to provide for the amalgamation of the said two companies into a single company, namely :—

1. Short Title.—This Order may be called the Shipping Corporation of India Limited and the Mogul Line Limited. Amalgamation Order, 1986.

2. Definitions.—In this Order unless the context otherwise requires:—

(a) "appointed day" means the 30th day of June, 1986.

(b) "dissolved company" means the Mogul Line Limited.

(c) "resulting company" means the Shipping Corporation of India Limited;

3. Amalgamation of the Companies.—(i) On and from the appointed day, the undertakings of the dissolved company subject to encumbrances thereof, if any, shall stand transferred to, and vest in, the Shipping Corporation of India Limited which company shall, immediately on such transfer, be deemed to be the company resulting from the amalgamation.

(ii) For accounting purposes, the amalgamation shall be effected with reference to the audited accounts and balance sheets as on the 30th June, 1986 of the said two companies, and the transactions thereafter shall be pooled into a common account. The dissolved Company shall not be required to prepare its final accounts as on any later date and the resulting company shall take over all assets and liabilities according to the Balance Sheet as on the 30th June, 1986 of the dissolved company and accept full responsibility for all transactions thereafter.

Explanation.—For the purpose of this Order "the undertakings of the dissolved company" shall include all rights, powers, authorities and privileges and all property, movable or immovable, including cash balance, reserves, revenue balances, investments and all other interests and rights in or arising out of such property as may belong to, or be in the possession of the dissolved company immediately before the appointed day and all books, accounts and documents relating thereto and also debts, liabilities, duties and obligations of whatever kind then existing of the dissolved company.

4. Transfer of certain item of property.—For the purpose of this Order, all the profits or losses or both, if any, of the dissolved company as on the appointed day and the revenue reserves or deficits or both, if any, of the dissolved company and capital reserves including Development Rebate Reserve of the dissolved company when transferred to the resulting company shall respectively form part of the profits or losses and the revenue reserves or deficits, as the case may be, of the resulting company and of the capital and revenue reserves of resulting company.

5. Share Exchange ratio.—Capital structure of the resulting company and the dissolved company is as follows :

A. Of the Shipping Corporation of India Ltd.,

Authorised share capital	
No. of equity shares	: 100,00,000
Value of shares	: Rs. 100,00,00,000
Issued, subscribed and paid-up share capital	
No. of equity shares	: 69,99,944
Amouut paid-up on these shares	: Rs.69,99,94,400

B. Of the Mogul Line Ltd.

Authorised share capital	
No. of equity shares	: 25,00,000
Value of shares	: Rs. 25,00,00,000
Issued, subscribed and paid-up share capital	
No. of equity shares	: 19,01,190
Amount paid-up on these shares	: Rs. 19,01,19,000

As a consequence of the amalgamation, the shareholders (held by the Government of India in the name of President of India) of the dissolved company will be allotted one equity share of the face value of Rs. 100 fully paid-up of the resulting company against one hundred equity shares of Rs. 100 each of the dissolved company as follows :

(a) 19011 equity shares of Rs. 100 each fully paid-up of the resulting company.

(b) This will leave 0.9 shares of the resulting company to be issued. Against this fractional holding of 0.9 shares the resulting company will issue one partly paid share of the face value of Rs. 100 with Rs. 90 as paid-up thereon.

The resulting company shall send by registered post acknowledgement due to the shareholders of the dissolved company whose names appear immediately before the appointed day in the Register of Members of the dissolved company, a notice giving particulars as to the allotment of shares to him and an allotment letter for such shares. A notice shall also be published by the resulting company in at least two newspapers one of which shall be in the regional language notifying the despatch of notices to the share-holders of the dissolved company.

6. Saving of contracts, etc.—Subject to the other provisions contained in this Order (and without prejudice to the powers conferred on the Central Government under the Mogul Line Ltd.) (Acquisition of Shares) Act, 1984, (Act No. 33 of 1984), all contracts, deeds, bonds, agreements and other instruments of whatever nature to which the dissolved company is a party, subsisting or having effect immediately before the appointed day, shall have full force and effect against or in favour of the resulting company and may be enforced as fully and effectually as if, instead of the dissolved company, the resulting company had been a party thereto;

7. Saving of legal proceedings.—If, on the appointed day, any suit, prosecution, arbitration, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the dissolved company be pending, the same shall not abate or be discontinued or be in any way prejudicially affected by reason of the transfer to the resulting company of the undertaking of the dissolved company or of anything contained in this Order, but the suit, prosecution, arbitration appeal or other proceeding may be contained, prosecuted and enforced by or against the resulting company in the same manner and to the same extent as it would have or may be continued, prosecuted and enforced by or against the dissolved company if this Order had not been made.

8. Provisions with respect to taxation.—All taxes in respect of the profits and gains (including accumulated losses and unabsorbed depreciation) of the business carried on by the dissolved company before the appointed day shall be payable by the resulting company to the same extent as they would have been payable by the dissolved company if this Order had not been made.

9. Provisions respecting existing officers and other employees of the dissolved company.—Every whole-time officer or other employee (excluding the Directors as also whole-time directors of the dissolved company) employed immediately before the appointed day, in the dissolved company shall, as from the appointed day, become an officer or employee, as the case may be, of the resulting company and shall hold his office or service therein by the same tenure and upon the same terms and conditions and with the same rights and previleges as he would have held the same under the dissolved company, if this Order had not been made, and shall continue to do so unless and until his employment in the resulting company is duly terminated or until his remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent. However, the posts of Secretary and of whole time Director in the dissolved company shall stand dissolved with effect from the appointed day and the incumbents of the posts of Secretary and of the whole time Director of the dissolved company will be adjusted against suitable posts in the resulting company in the same scale of pay and with the same perquisites (prequisites would not, however, include designation or membership on the Board of promotional prospects) as was being drawn by them in the dissolved company immediately before the appointed day and as from the appointed day become officers of the resulting company and shall hold their office or service therein unless and until their respective employment in the resulting company is duly terminated or until their remuneration and conditions of employment are duly altered by mutual consent.

10. Position of Directors.—Every Director of the dissolved company including whole-time Director holding office as such immediately before the appointed day shall cease to be a director of the dissolved company on the appointed day.

11. Provident, Superannuation, Welfare and other funds.— Subject to the compliance with the provisions of the Income Tax Act, the Trustees of the Provident F[illegible] Fund|Welfare Fund| any other F[illegible], the dissolved company for the benefit of its officers and other employees will take steps for transfer of funds of the respective Trusts as on the appointed day to the resulting company on the appointed day and the resulting company shall immediately from the appointed day or as soon as possible after that day, constitute the above moneys into one or more trusts with the same objects, terms and conditions similar to those of the existing trust(s) as the circumstances may be practicable or the said existing fund(s) may be transferred to the one or more corresponding trusts of the resulting company, so that in either of the above two alternatives, the rights and interests of the beneficiaries of the existing trust(s) shall not in any way be diminished or prejudiced. Where all the moneys and other assets belonging to the existing trust(s) are transferred to, and vested in, to the transferee(s), under this clause, the trustees of such trust shall, as from the appointed day, stand discharged from the trust, except as respects things done or committed to be done before the appointed day.

12. Dissolution of the Mogul Line Ltd.—Subject to the other provisions of this Order, as from the appointed day, the Mogul Line Ltd. shall be dissolved, and no person shall make, assert or take any claims, demands or proceedings against the dissolved company or against a Director or an Officer thereof in his capacity as such Director or officer, except in so far as may be necessary for enforcing the provisions of this Order.

13. Registration of the Order by the Registrar of Companies.—The Company Law Board shall, as soon as may be after this Order is notified in the Official Gazette send to the Registrar of Companies, Maharashtra, a copy of the Order, on receipt of which the Registrar of Companies, Maharashtra shall register the Order, on payment of the prescribed fees by the resulting company and certify under his hand the registration thereof within thirty days from the date of receipt of a copy of this Order. Thereafter, the Registrar of Companies, Maharashtra shall place all documents registered, recorded or filed with him relating to the dissolved company on the file of the Shipping Corporation of India Ltd. with whom the dissolved company has been amalgamated , and consolidate these and shall keep such consolidated documents on the file.

14. Memorandum and Articles of Association of the resulting Company.—The Memorandum and Articles of Association of the Shipping Corporation of India Ltd., as they stood immediately before the appointed day, shall as from the appointed day be the Memorandum and Articles of Association of the resulting Company.

[No. 29|35|83-CL. III]

R. N. BANSAL,

Member

Company Law Board.

443 GI/86—2

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986